

2025/486

वकील

23-7-2025

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
रतनदास बनाम कमला आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 248 वर्ष 2025

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये |
|------------|--|--|
| 26.06.2025 | वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 28.07.2025 को पेश हो। | |
| 23-7-2025 | <p>वकील वादी द्वारा पत्रावली पेश किया गया। पत्रावली के पेश करने पर पत्रावली को पेश करने में निष्काशित वकील वादी के निवेदन कि कि वादी प्रपुत्री वादी का शर्मा नाम होने से वाद-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा स्थिति में खरीज कराना चाहते हैं। वाद-पत्र मौजूदा स्थिति में खरीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर के काम की जाकर काउ तल्ब कर तल्ब कर लाना वाकिल दफ्तर हो।</p> | <p>शर्मा नाम होने से वाद-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा स्थिति में खरीज कराना चाहते हैं। वाद-पत्र मौजूदा स्थिति में खरीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर के काम की जाकर काउ तल्ब कर तल्ब कर लाना वाकिल दफ्तर हो।</p> <p>रतनदास पुं रतन 23/7/2025</p> |

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

